

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकार,  
गोड्डा।

महाषय,

झालसा, राँची के पत्रांक संख्या 1509 दिनांक 25.05.2017 के आदेशानुसार मिडिएशन सेण्टर में कुल पाँचों मिडिएटर द्वारा माह दिसंबर 2017 का मिडिएशन बिल समर्पित किया है।

मिलान करने पर विपत्र नियमानुकूल एवं सही होना पाया गया, जिसमें सफल एवं असफल दोनों तरह की मध्यस्थता का बिल है। जो निम्नलिखित है:-

Name of Mediators					
Sri Raj Kumar					
Sri Ajay Prasad Sah					
Reena Kumari Dey					
Sri Dharmendra Narayan					
Sri Ugresh Kumar Jha					
<b>Total=65,850.00</b>					

उक्त विपत्रों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है, जिसका भुगतान विधि प्रभार (Mediation Fee, Advocate Fee & Lok Adalat etc.) विपत्र कोड संख्या S27 201400114020760 से किया जाना है। उक्त मद में वर्ष 2017-18 में कुल रू0 3,00,000/- का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व माह नवंबर, 2017 तक का भुगतान किया जा चुका है।

अतः उक्त बिल के अनुमोदन हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

उचित आदेशार्थ

सहायक,  
जि०वि०से०प्रा०,  
गोड्डा।

प्रधान जिला न्यायाधीश-सह- अध्यक्ष,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गोड्डा।

महाषय,

कार्यालय लिपिक का प्रतिवेदन देखा, दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर पाचों मिडिएटरों के माह दिसंबर 2017 का मिडिएशन बिल का भुगतान विधि प्रभार (Mediation Fee, Advocate Fee & Lok Adalat etc.) विपत्र कोड संख्या S27 201400114020760 से किया जाना है। जिसमें कुल रू0 1,06,050/- शेष है तथा इस विपत्र के आधार पर कुल मो0 65,850.00 रुपये का भुगतान करना है।

अतः यदि श्रीमान का अनुमोदन हो तो, उक्त पाँचों मिडिएटरों के नाम से दिये गये विवरण के आधार पर भुगतान का आदेश दिया जा सकता है।

सचिव,

जि०वि०से०प्रा०,  
गोड्डा।

Sanctioned

Rs. 65,850.00 (Sixty Five Thousand Eight hundred fifty) only.

P.D.J. -cum- Chairman  
D.L.S.A., Godda.

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकार,  
गोड्डा।

महाषय,

झालसा, राँची के पत्रांक संख्या 1509 दिनांक 25.05.2017 के आदेशानुसार मिडिएशन सेण्टर में कुल पाँचों मिडिएटर द्वारा माह नवंबर 2017 का मिडिएशन बिल समर्पित किया है।

मिलान करने पर विपत्र नियमानुकूल एवं सही होना पाया गया, जिसमें सफल एवं असफल दोनों तरह की मध्यस्थता का बिल है। जो निम्नलिखित है:-

Sri Dharmendra Narayan						
						<b>Total=50,800.00</b>

उक्त विपत्रों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है, जिसका भुगतान विधि प्रभार (Mediation Fee, Advocate Fee & Lok Adalat etc.) विपत्र कोड संख्या S27 201400114020760 से किया जाना है। उक्त मद में वर्ष 2017-18 में कुल ₹0 3,00,000/- का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व माह अक्टूबर, 2017 तक का भुगतान किया जा चुका है।

अतः उक्त बिल के अनुमोदन हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश –सह– अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

उचित आदेशार्थ

सहायक,  
जि०वि०से०प्रा०,  
गोड्डा।

प्रधान जिला न्यायाधीश–सह– अध्यक्ष,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गोड्डा।

महाषय,

कार्यालय लिपिक का प्रतिवेदन देखा, दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर पाचों मिडिएटरों के माह नवंबर 2017 का मिडिएशन बिल का भुगतान विधि प्रभार (Mediation Fee, Advocate Fee & Lok Adalat etc.) विपत्र कोड संख्या S27 201400114020760 से किया जाना है। जिसमें कुल ₹0 1,56,850/- शेष है तथा इस विपत्र के आधार पर कुल मो० 50,800.00 रुपये का भुगतान करना है।

अतः यदि श्रीमान का अनुमोदन हो तो, उक्त पाचों मिडिएटरों के नाम से दिये गये विवरण के आधार पर भुगतान का आदेश दिया जा सकता है।

सचिव,

जि०वि०से०प्रा०,  
गोड्डा।

Sanctioned

Rs. 50,800.00 (Fifty Thousand Eight hundred) only.

P.D.J. –cum- Chairman  
D.L.S.A., Godda.